न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, छोटीसादड़ी, जिला–प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–विनोद कुमार मल्होत्रा (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः–13 / 2020

1. श्री फकरूददीन पिता तेयबअली जी जाति बोहरा निवासी नीमच तहसील व जिला नीमच म. प्र.

   –– वादी

बनाम

1. श्री अकबरअली पिता फकरूददीन जी जाति बोहरा निवासी छोटीसादडी तहसील छोटीसादडी
2. इस्माईल पिता फकरूददीन जी जाति बोहरा निवासी छोटीसादडी तहसील छोटीसादडी मृतक के बजाए–
   - 2.1 जेतुन पत्नि इस्माईल जी जाति बोहरा निवासी छोटीसादडी तहसील छोटीसादडी
   - 2.2 बुरहानउदीन पिता इस्माईल जी जाति बोहरा निवासी छोटीसादडी तहसील छोटीसादडी
   - 2.3 फातेमा पुत्री इस्माईल जी जाति बोहरा निवासी छोटीसादडी तहसील छोटीसादडी
   - 2.4 शीरिन पुत्री इस्माईल जी जाति बोहरा निवासी छोटीसादडी तहसील छोटीसादडी
3. नफीस पिता फकरूददीन जी जाति बोहरा निवासी छोटीसादडी तहसील छोटीसादडी
4. फिरोजअली पिता फकरूददीन जी जाति बोहरा निवासी छोटीसादडी तहसील छोटीसादडी मृतक के बजाएः–
   - 4.1 यास्मीन उर्फ सकीना पत्नि फिरोजअली जी जाति बोहरा निवासी छोटीसादडी तहसील छोटीसादडी
   - 4.2 मोहम्मद पिता फिरोज अली जी जाति बोहरा निवासी छोटीसादडी तहसील छोटीसादडी
   - 4.3 मुनीरा पुत्री फिरोजअली जी जाति बोहरा निवासी छोटीसादडी तहसील छोटीसादडी
5. मुनबरहुसेन पिता फकरूददीन जी जाति बोहरा निवासी छोटीसादडी तहसील छोटीसादडी मृतक के बजाए––
   - 5.1 नफीसा पत्नि मुनबरहुसेन जी जाति बोहरा निवासी छोटीसादडी तहसील छोटीसादडी
   - 5.2 अलीअसगर पिता मुनबरहुसेन जी जाति बोहरा निवासी छोटीसादडी तहसील छोटीसादडी
   - 5.3 शब्बीरहुसेन पिता मुनबरहुसेन जी जाति बोहरा निवासी छोटीसादडी तहसील छोटीसादडी
6. मुस्तफा पिता फकरूददीन जी जाति बोहरा निवासी छोटीसादडी
7. राजस्थान सरकार, जरिये भूमिधारी तहसीलदार, छोटीसादडी जिला प्रतापगढ राजस्थान

   –– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 88–188–209 आर.टी.एक्ट

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी जिला प्रतापगढ

उपस्थितः– श्री बाबुलाल पालीवाल– अभिभाषक वादी

निर्णय दिनांक 01.09.2021

1. वादीगण ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 आर.टी.एक्ट. मौजा गोमाना तहसील छोटीसादडी की आराजी नम्बर 1465 रकबा 1.13 हे. एवं आराजी नम्बर 1464 आ चा मे अपना 3/4 हक हिस्सा को अपने नाम घोषित कराने बाबत पेश किया गया है। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कि वाके मोजा गोमाना प. ह. गोमाना तहसील छोटीसादडी मे आराजी नम्बर 512/1 रकबा 2 बिस्वा आराजी नम्बर 513 रकबा 2 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 520/2 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा स्थित होकर उक्त आराजियात पुर्व मे वादी के पिता तेयबअली पिता अब्दुल बोहरा के नाम से राजस्व अभिलेख मे अंकित थी एवं उक्त वर्णित आराजियात इन्तकाल नम्बर 535 दिनांक 26.2.75 को विरासत से वादी के नाम राजस्व अभिलेख मे अंकित हुई थी। भु प्रबंधक विभाग द्वारा दोराने पेमाईश उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजियात के नवीन आराजी नम्बर 1463 रकबा 0.14 हे., आराजी नम्बर 1464 रकबा 0.04 हे. आराजी नम्बर 1465 रकबा 1.13 हे. अंकित किये गये उक्त वर्णित आराजियात नम्बरान मे से आराजी नम्बर 1463 व आराजी नम्बर 1464 वादी के नाम राजस्व अभिलेख मे अंकित हो गई किन्तु आराजी नम्बर 1465 दोराने पेमाईश वादी के नाम राजस्व अभिलेख मे अंकित नही हुई। आराजी नम्बर 1464 आ चा मे भी 0.04 हे. मे वादी का 3/4 हक हिस्सा है। वादी द्वारा अपने वाद मे आगे यह भी दर्शाया है कि प्रतिवादी के पिता फकरूददीन के पिता का नाम भी तेयबअली था प्रतिवादी के पिता के देहान्त के बाद विरासत से आराजी नम्बर 1746, 1747, 1748 प्रतिवादी के नाम दर्ज हुई किन्तु साथ ही वादी की आराजियात आराजी नम्बर 1465 को भी प्रतिवादीगण की आराजियात मे विरासत मे सम्मिलित कर दिया गया जबकि मोके पर आज भी वादी का ही कब्जा होकर वादी के आधिपत्य स्वामित्व मे चली आ रही है। वादी आराजी नम्बर 1465 रकबा 1.13 हे. एवं आराजी नम्बर 1464 आ चा मे अपना 3/4 हक हिस्सा अपनी खातेदारी की घोषणा करा कर राजस्व रेकार्ड मे अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी होने से वाद घोषणा का पेश है।

2. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को बाद जांच रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन सुचित किया गया प्रतिवादीगण बावजुद सम्मन अनुपस्थित इसलिये उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई तथा पत्रावली को वादी की साक्ष्य हेतु नीयत किया गया। मोखिक साक्ष्य वादी ने स्वंम फकरूददीन ने अपने अपने बयान शपथ पत्र पर न्यायालय मे लेखबद्ध कराए जिसमे वादी ने वाद पत्र मे वर्णित एवं शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यो को सही होना स्वीकार किया तथा दस्जावेजी साक्ष्य मे वादी ने अपने द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श 1 नकल जमांबदी संवत 2075–2078 प्रदर्श 2 मिलान क्षेत्रफल एवं नकल जमांबदी संवत 2050 से 2053 , नकल जमाबंदी संवत 2030 से 2033 एवं नकल जमांबदी संवत 2026 से 2029 पेश कर प्रदर्शित करवाई गई तदुपंरात वादी की साक्ष्य बंद की गई। प्रतिवादीगण ने न ही अपनी उपस्थिति दी एव ना ही कोई मोखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया जिससे वादी का वाद मोखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अखण्डित रही। तथपश्चात दिनांक 07.07.2021 को मौके की वस्तुस्थिति जानने हतु तहसीलदार छोटीसादड़ी को आदेश जारी किया गया जिसपर तहसीलदार छोटीसादड़ी द्वारा दिनांक 14.07.2021 को मौका रिपोर्ट पेश कि गई मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त आराजी का वास्तविक खातेदार फखरूदीन पिता तेयबअली निवासी छोटीसादडी है। ओर वर्तमान में जीवित है। तथा आराजी में दर्ज रिकार्ड नाम वास्तविक खातेदार नहीं है। ओर न ही इसके वारीसान है। आराजी में दर्ज रिकार्ड नाम के किसी व्यक्ति का कभी भी इस आराजी पर कब्जा नहीं रहा है। ओर कभी भी इन व्यक्तियों को इन आराजी पर आते जाते नहीं देखा है। इस आराजीयात पर हमेशा से फखरूदीन पिता तेयबअली का ही कब्जा चला आ रहा है। उक्त आराजीयात में दर्ज नाम के व्यक्ति इस आराजीयात के वास्तविक खातेदार नही होकर इनका नाम इस खातेदारी आराजी में गलत दर्ज हो गया है। वादी अभिभाषक की बहस को ध्यान पुर्वक सुनी गई एवं प्रकरण में दिनांक 04.08.2021 को वकील वादी द्वारा लिखित बहस पेश की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया गया। पुरानी नकल जमांबदी का अवलोकन करने पर पाया गया कि आराजी नम्बर 1465 रकबा 1.13 हे. एवं आराजी नम्बर 1464 आ चा मे 3/4 हक हिस्सा वादी के नाम दर्ज होना चाहिए था परन्तु सेटलमेन्ट विभाग द्वारा बिना किसी हक अधिकार

उपखण्ड अधिकारी

एवं बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के ही वादी एवं प्रतिवादी के पिता का नाम एक ही होने से उक्त वर्णित विवादग्रस्त आराजियात प्रतिवादीगण के नाम राजस्व अभिलेख मे अंकित कर दी गई तथा उनके वारिसान ने भी देहान्त के बाद विरासत का नामान्तरण खुलवा लिया जो गलत होकर विधिविरूद्ध है।

3. प्रतिवादीगण ने वादी के वाद पत्र के खण्डन मे न्यायालय मे आकर अपना जवाब भी पेश नही किया तथा ना ही अपनी उपस्थिति न्यायालय मे दर्ज करवाई जिससे की वादी के वाद पत्र के संबध मे अपनी प्रतिरक्षा न्यायालय के समक्ष पेश कर सके । विधि का यह स्थापित सिध्दान्त है कि मोखिक साक्ष्य की अपेक्षा दस्तावेजी साक्ष्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए वादी द्वारा अपने वाद पत्र को दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा अपने वयान से सावित कराया गया है जिससे की वादी की साक्ष्य अखण्डित रही है।

4. उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि आराजी नम्बर 512/1 रकबा 2 बिस्वा आराजी नम्बर 513 रकबा 2 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 520/2 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा वादी के पिता के नाम से राजस्व अभिलेख मे अंकित थे एवं दोराने पेमाईश नवीन नम्बरान आराजी नम्बर 1465 रकबा 1.13 हे. एवं आराजी नम्बर 1464 आ चा मे वादी का 3/4 हक हिस्सा सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वादी के नाम अंकित ना कर प्रतिवादीगण के नाम पर अंकित कर दिया गया जिसे नये राजस्व रिकार्ड मे वादी के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

5. अत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वाके मोजा गोमाना प. ह. गोमाना तहसील छोटीसादडी की आराजी नम्बर 1465 रकबा 1.13 हे. एवं आराजी नम्बर 1464 आ चा मे वादी का 3/4 हक हिस्सा अनुसार वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार छोटीसादडी को आदेशित किया जाता है कि आराजी नम्बर 1465 रकबा 1.13 हे. एवं आराजी नम्बर 1464 आ चा मे वादी का 3/4 हक हिस्सा मे प्रतिवादीगण के नाम राजस्व अभिलेख से विलोपित कर वादी के नाम राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी की आराजियात मे किसी भी प्रकार की दखलअन्दाजी न करे न करावे। डिक्री पृथक से जारी हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी जिला–प्रतापगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 01.09.2021 को सरे इजलास सुनाया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विनोद कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी जिला – प्रतापगढ़

मुल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ (राज.)

बइजलास श्री विनोद कुमार मल्होत्रा **(R.A.S.)** उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी

प्रकरण संख्याः—13 / 2020

1. श्री फकरूददीन पिता तेयबअली जी जाति बोहरा निवासी नीमच तहसील व जिला नीमच म. प्र.

—— वादी

बनाम

1. श्री अकबरअली पिता फकरूददीन जी जाति बोहरा निवासी छोटीसादडी तहसील छोटीसादडी
2. इस्माईल पिता फकरूददीन जी जाति बोहरा निवासी छोटीसांदडी तहसील छोटीसादडी मृतक के बजाए—

   2.1 जेतुन पत्नि इस्माईल जी जाति बोहरा निवासी छोटीसादडी तहसील छोटीसादडी

   2.2 बुरहानउदीन पिता इस्माईल जी जाति बोहरा निवासी छोटीसादडी तहसील छोटीसादडी

   2.3 फातेमा पुत्री इस्माईल जी जाति बोहरा निवासी छोटीसादडी तहसील छोटीसादडी

   2.4 शीरिन पुत्री इस्माईल जी जाति बोहरा निवासी छोटीसादडी तहसील छोटीसादडी
3. नफीस पिता फकरूददीन जी जाति बोहरा निवासी छोटीसादडी तहसील छोटीसादडी
4. फिरोजअली पिता फकरूददीन जी जाति बोहरा निवासी छोटीसादडी तहसील छोटीसादडी मृतक के बजाएः—

   4.1 यास्मीन उर्फ सकीना पत्नि फिरोजअली जी जाति बोहरा निवासी छोटीसादडी तहसील छोटीसादडी

   4.2 मोहम्मद पिता फिरोज अली जी जाति बोहरा निवासी छोटीसादडी तहसील छोटीसादडी

   4.3 मुनीरा पुत्री फिरोजअली जी जाति बोहरा निवासी छोटीसादडी तहसील छोटीसादडी
5. मुनबरहुसेन पिता फकरूददीन जी जाति बोहरा निवासी छोटीसादडी तहसील छोटीसादडी मृतक के बजाए———

   5.1 नफीसा पत्नि मुनबरहुसेन जी जाति बोहरा निवासी छोटीसादडी तहसील छोटीसादडी

   5.2 अलीअसगर पिता मुनबरहुसेन जी जाति बोहरा निवासी छोटीसादडी तहसील छोटीसादडी

   5.3 शब्बीरहुसेन पिता मुनबरहुसेन जी जाति बोहरा निवासी छोटीसादडी तहसील छोटीसादडी
6. मुस्तफा पिता फकरूददीन जी जाति बोहरा निवासी छोटीसादडी
7. राजस्थान सरकार, जरिये भूमिधारी तहसीलदार, छोटीसादडी जिला प्रतापगढ राजस्थान

—— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 88–188–209 आर.टी.एक्ट

उपस्थितः– श्री बाबुलाल पालीवाल– अभिभाषक वादी

दिनांक 01.09.2021

यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी छोटीसादड़ी बइजलास श्री विनोद कुमार मल्होत्रा आर.ए.एस. व हाजरी वादीया अधिवक्ता श्री बाबुलाल पालीवाल मिनजानिब मुदई पेश होकर हुक्म दिया जाता है एवं डिक्री की जाती है कि मौजा गोमाना प0ह0 गोमाना तहसील छोटीसादड़ी की आराजी संख्या 1465 रकबा 1.13 हे. एवं आराजी नम्बर 1464 आ चा में वादी का 3/4 हक हिस्सा अनुसार प्रतिवादीगणों के बजाए वादी श्री फकरूददीन पिता तेयबअली जी जाति बोहरा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी की आराजियात में किसी भी प्रकार की दखल अन्दाजी न करें एवं न ही करावें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 01.09.2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी की गयी।

(विनोद कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़ (राज0)

वाद के खर्चे

मुदई			मुदायल		
	रूपया	पैसे		रूपया	पैसे
1 स्टाम्प आराजी दावा 2 स्टाम्प वकालात नामा 3 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 4 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 5............. रूपये पर प्लीडर की फीस 6 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 7 कमिश्नर की फीस 8 आदेशिका की तामिल	01 02		1 स्टाम्प आराजी दावा 2 स्टाम्प वकालात नामा 3 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 4 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 5.......... रूपये पर प्लीडर की फीस 6 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 7 कमिश्नर की फीस 8 आदेशिका की तामिल		
जोड़	03		जोड़		

(विनोद कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़ (राज0)